



संख्या-15/2026/1/1374020/2026/001-77-3002-003-21-2023

प्रेषक,

निर्मेश कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

अवस्थापना विकास अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 23.06.2026

विषय:- जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारीडोर, झांसी नोड के अन्तर्गत जनपद झांसी में आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण (पाकेट-3 के 24 मी० चौड़ा) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 350/यूपीडा/डिफेन्स कारीडोर/लेखा दिनांक 20.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारीडोर, झांसी नोड के अन्तर्गत जनपद झांसी में आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण (पाकेट-3 के 24 मी० चौड़ा आन्तरिक मार्ग) का कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू० 17507.69 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू० 4376.9225 लाख निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू० लाख में)

जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय किश्त की धनराशि	तृतीय किश्त की धनराशि
झांसी	जनरल विपिन रावत डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारीडोर, झांसी नोड के अन्तर्गत जनपद झांसी में आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण (पाकेट-3 के 24 मी० चौड़ा आन्तरिक मार्ग) का कार्य	17507.69	6127.70	6127.70	4376.9225

(1) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(2) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्यय) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 व दिनांक 19.09.2023 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (4) यूपीडा द्वारा उक्त परियोजना एवं वित्तीय स्वीकृति पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
- (5) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होंगे।
- (6) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) मूल वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 06.02.2024 में दी गयी शर्तें यथावत रहेंगी।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 43,76,92,250 (रुपये तैंतालीस करोड़ छिहत्तर लाख बानबे हजार दो सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० विभागीय मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।